न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 44 / 2025 **दायर दिनांकः 12.05.2025**

उनवान

1. जुबैदा बानो आयु 73 वर्ष पुत्री करीम खाँ पत्नी अ. लतीफ जाति मुसलमान निवासी शेरगढ हाल मु0 अन्ता जिला बारां राज0

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—
प्रार्थी :— विद्वान अभिभाषक श्री अमीनुद्दीन
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

निर्णय **दिनाकः 23.06.2025**

प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीया के शामलाती कब्जे काश्त एंव स्वामित्व की आराजी वाके ग्राम एंव माल शेरगढ तहसील अटरू में की आराजी खाता सं0 14 के खसरा नं 253 / 901 का रकबा 0.20 हे०, खसरा नं 255 का रकबा 0.70 हे०, खसरा नं 256 का रकबा 0.06 हे०, खसरा नं 257 का रकबा 0.02 हे0, खसरा नं 258 का रकबा 0.06 हे०, खसरा नं 259 का रकबा 0.16 हे०, खसरा नं 260 का रकबा 0.45 हे०, खसरा नं 261 का रकबा 0.02 हे०, खसरा नं 262 का रकबा 1.20 हे०, खसरा नं 263 का रकबा 0.13 हे0 कुल किता 10 का रकबा 3.00 हे० आराजी शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिले गौर है। प्रार्थीया का नाम प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में सहवन से जुबैदा बानो पत्नी अ. लतीफ पुत्री करीम खां के स्थान पर झब्बो पुत्री करीम खाँ अंकित हो गया है जो कि गलत है प्रार्थीया का सही नाम जुबैदा बानो है जो कि उसके आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पास बुक आदि दस्तावेजो में भी जुबैदा बानो नाम ही दर्ज है तथा ग्राम पंचायत शेरगढ द्वारा जारी प्रमाण पत्र निसार मोहम्मद नाम ही दर्ज है। उक्त समस्त दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थीया राजस्व कर्मचारिगणों द्वारा की गई त्रुटि को दुरूस्त करवा कर अपना नाम झब्बो के स्थान पर

जुबैदा बानो दर्ज करवाने के अधिकारी है। अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारिगणों के द्वारा किये गए गफलत एवं लापरवाही पुर्वक कार्य से प्रार्थी का नाम झब्बो कर देने से प्रार्थी को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। जमाबन्दी एंव अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम भिन्न भिन्न होने से बैंक से कृषि ऋण व अन्य कृषि योजनाओं का लाभ आदि प्राप्त नही कर पा रहा है। प्रार्थी ने अप्रार्थी से नाम दुरस्त करने का निवेदन किया तो उन्होंने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने का निर्देश दिया इस कारण यह प्रार्थाना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। आराजी ग्राम/माल शेरगढ पटवार हल्का शेरगढ तह० अटरू जिला बांरा (राज) में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किया जाता है।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी आराजी ग्राम एंव माल शेरगढ़ तहसील अटरू में खाता सं0 14 के खसरा नं 253/901 का रकबा 0.20 हे०, खसरा नं 255 का रकबा 0.70 हे०, खसरा नं 256 का रकबा 0.06 हे०, खसरा नं 257 का रकबा 0.02 हे0, खसरा नं 258 का रकबा 0.06 हे०, खसरा नं 259 का रकबा 0.16 हे०, खसरा नं 260 का रकबा 0.45 हे०, खसरा नं 261 का रकबा 0.02 हे०, खसरा नं 262 का रकबा 1. 20 हे०, खसरा नं 263 का रकबा 0.13 हे0 कुल किता 10 का रकबा 3.00 हे० शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। आराजी में प्रार्थीया का नाम जुबैदा बानो दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान किये जाने की कृपा करें ।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2025/1982 दिनांक 28.05.2025 को शामिल फाईल किया गया।

साक्ष्यप्रार्थी के तहत शपथ पत्र Pw1 जमील अहमद कुरेशी पुत्र इब्राहिम कुरेशी जाति मुसलमान निवासी सब्जी मंडी की टेक बारां का शपथ पत्र पेश किया गया तथा उनके सशपथ बयान लेखबद्व किए गए तथा अभिभाषक प्रार्थीया की बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थीया की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल शेरगढ सम्वत 2071–74 खाता संख्या 14, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पास बुक, पेन कार्ड (GDXPB4075A), परिवार राशन कार्ड, प्रशासक ग्राम पंचायत शेरगढ प्रमाण पत्र, शपथ पत्र गवाहान व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया।

जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 ग्राम व माल शेरगढ खाता संख्या 14 में सहखातेदार जमील अहमद पुत्र इब्राहिम ने भी झब्बों का सही नाम जुबैदा बानों होना स्वीकार किया है तथा प्रशासक ग्राम पंचायत शेरगढ प्रमाण पत्र के आधार पर जुबेदा बानो उर्फ झब्बो एक ही व्यक्ति है।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण, साक्ष्यप्रार्थी तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर ग्राम एंव माल शेरगढ़ तहसील अटरू में खाता सं0 14 के खसरा नं 253/901 का रकबा 0.20 हे०, खसरा नं 255 का रकबा 0.70 हे०, खसरा नं 256 का रकबा 0.06 हे०, खसरा नं 257 का रकबा 0.02 हे0, खसरा नं 258 का रकबा 0.06 हे०, खसरा नं 259 का रकबा 0.16 हे०, खसरा नं 260 का रकबा 0.45 हे०, खसरा नं 261 का रकबा 0.02 हे०, खसरा नं 262 का रकबा 1.20 हे०, खसरा नं 263 का रकबा 0.13 हे0 कुल किता 10 का रकबा 3.00 हे० आराजी में सह खातेदार झब्बो पुत्री करीम खां के स्थान पर जुबैदा बानों उर्फ झब्बो पुत्री करीम खां किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपलब्ध रिकार्ड/दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट आंशिक स्वीकार किया जाता है। ग्राम एंव माल शेरगढ़ तहसील अटरू में खाता सं0 14 के खसरा नं 253/901 का रकबा 0.20 हे०, खसरा नं 255 का रकबा 0.70 हे०, खसरा नं 256 का रकबा 0.06 हे०, खसरा नं 257 का रकबा 0.02 हे0, खसरा नं 258 का रकबा 0.06 हे०, खसरा नं 259 का रकबा 0.16 हे०, खसरा नं 260 का रकबा 0.45 हे०, खसरा नं 261 का रकबा 0.02 हे०, खसरा नं 262 का रकबा 1.20 हे०, खसरा नं 263 का रकबा 0.13 हे0 कुल किता 10 का रकबा 3.00 हे० आराजी में सह खातेदार झब्बो पुत्री करीम खां के स्थान पर जुबैदा बानों उर्फ झब्बो पुत्री करीम खां दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें। जमाबन्दी के शेष अंकन यथावत रहेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 23.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां